

## कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रांक / ४५०८-०३/आगल भाषा मान्यता/2016-17 दिनांक ३ सितंबर 2016  
सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,

ग्रीन माउण्ट ग्लोबल स्कूल वैचैराली भीमताल (नैनीताल)

विषय:— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपचारिक प्रमाण पत्र।  
महोदय,

आपके आवेदन—पत्र दिनांक 25-7-2016 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी भीमतालद्वारा विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय— ग्रीन माउण्ट ग्लोबल स्कूल वैचैराली भीमताल (नैनीताल) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु (तीन वर्ष) दिनांक 1-9-2016 से 31-8-2019 तक अवधि के लिए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी—

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा— 8 तक की सीमा के बाहर मात्र नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा—1 में बच्चों के नामांकन की बुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या—3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की दृष्टिकोण (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विरतारित अवधि के बाद प्रयोग तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे—

- (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कारित किया जाएगा;
- (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने याले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्राप्त <sup>Theological Educational and Welfare Society</sup> प्रदान किया जाएगा;

Theological Educational and Welfare Society  
Girija Vihar, Haldwani (Nainital)

Manish  
Secretary

Signature

Prakash  
Green Mount Global School  
Korali, Bhimtal (Nainital)  
Date 31/12/2021

(2) -

- (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निश्चित/विशेष आवश्यकता वाले वर्णों का समावेशन किया जाएगा;
- (छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत दैरों साथी शिक्षक, जौ-निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 3 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
- (पाँच) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
- (आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-भत्तिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल— 10117क्र141रुक्खवायर, मीटर
  - कुल निर्मित क्षेत्र—24000रुक्खवायर, मीटर
  - खेल के मैदान का क्षेत्र: 8093.123रुक्खवायर मीटर है
  - कक्षों-कक्षों की कुल संख्या—30
  - प्रधानाध्यापक—सह-कार्यालय—सह-भंडार कक्ष; 03 हैं
  - वालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय; हैं
  - पेटजल की सुविधा; है
  - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर, है
  - वाष्ठा रहित पहुँच;
  - शिक्षण अधिनम सामग्री/ खेलपूद उपकरण/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस गान्धी द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक भत्तिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/ संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय रोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत नियमित रोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत महित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यवित्यों के संघ अथवा किसी अन्य व्यवित्यों के लान के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का डंकेश्वा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्त्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

*6/6/2021*  
Green Motiv  
Korali, U.P.

*Girija Vinay, Haldwani (Nainital)*  
Theological Educational and Welfare Society  
*Manish*  
Secretary

( 3 )

16. आपके विद्यालय को आबॉटेल मान्यता कोड सल्यून-62 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को धृपया अकित एवं उद्भूत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएँगी और राज्य सरकार के साथ से मान्यता की शर्तों की विवरतार पूर्ण की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर कर्खे हेतु समय-समय पर निर्भत निर्देशों का अनुप्राप्ति विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नपीकरण यी किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिषिष्ट-घार के रूप में संलग्न अन्य शर्तों।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी घाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल ३१/२०१६  
प्रेसीडेंसी

पृ० ८० / आरल नाथ / 2016-17 दिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित-

1. सचिव शिक्षा अधिकारी नैनीताल नैनीताल।
2. निदेशक गायानिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

Manish  
17/6/2021  
Green Mount School  
Korali, Bharatpur (Nainital)

Theological Educational and Welfare Society  
Girija Vihar, Haldwani (Nainital)  
Manish